

न्यायालय:-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 चन्देरी जिला-अशोकनगर

(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर-235103000702007

व्यवहार वाद क्र.-39ए/16

संस्थापित दिनांक-20.11.07

1.सुरेन्द्रसिंह पुत्र पहाडसिंह राजपूत आयु 37 वर्ष व्यवसाय खेती, निवासी ग्राम मुरादपुर तहसील चंदेरी हाल निवास बासौदा जिला विदिशा (म0प्र0)
2.शिशुपालसिंह पुत्र पहाडसिंह राजपूत आयु 35 वर्ष व्यवसाय खेती निवासी ग्राम मुरादपुर तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0)
वादीगण
विरुद्ध
1.प्रताप पुत्र जानकी लोधी आयु 55 वर्ष निवासी ग्राम मुरादपुर, चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0) मृत द्वारा वारिसान:- 1अ-रामसिंह पुत्र प्रतापसिंह लोधी आयु 30 वर्ष 1ब-सिरनामसिंह पुत्र प्रतापसिंह लोधी 1स-आसाराम पुत्र प्रतापसिंह लोधी 1द-अर्जुनसिंह पुत्र प्रताप लोधी 1इ-मुकेश पुत्र प्रताप लोधी 1प-नीरज पुत्र प्रतापसिंह लोधी समस्त निवासीगण ग्राम मुरादपुर तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर 1फ-शांतिबाई पुत्री प्रतापसिंह लोधी पत्नी पप्पू निवासी ग्राम सिलगन जिला ललितपुर (उ0प्र0)

1ब-मिथला पुत्री प्रतापसिंह पत्नी रामचरण लोधी निवासी ग्राम बूचा (उ0प्र0)

1भ-सुशीला पुत्री प्रतापसिंह पत्नी प्राणसिंह लोधी निवासी ग्राम लागोन (उ0प्र0)

1म-गुलाबबाई पुत्री प्रतापसिंह पत्नी फेरनसिंह लोधी निवासी मढवाई (उ0प्र0)

1भ-फूलाबाई वेवा पत्नी प्रतापसिंह लोधी निवासी ग्राम मुरादपुर, चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0)

2.लखनलाल पुत्र जानकी लोधी आयु 50 वर्ष व्यवसाय खेती निवासी ग्राम मुरादपुर, चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0)

मृत द्वारा वारिवासन:-

2अ-दशरथ पुत्र लखन लोधी आयु 35 वर्ष

2ब-जहारसिंह पुत्र लखन लोधी आयु 33 वर्ष

2स-सुखनंदन पुत्र लखन लोधी आयु 31 वर्ष

2द-महेश पुत्र लखन लोधी आयु 21 वर्ष

2क-अवतार पुत्र लखन लोधी आयु 20 वर्ष

2ख-बेनीबाई वेवा पत्नी लखन लोधी आयु 65 वर्ष

2ग-अनीताबाई पुत्री लखन लोधी आयु 25 वर्ष

2घ-प्रेम पुत्री लखन लोधी आयु 27 वर्ष

2ङ-कमला पुत्री लखन लोधी आयु 29 वर्ष

2ई-सरोजबाई पुत्री लखन लोधी आयु 24 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम मुरादपुर, चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0)

3.भुजवल पुत्र कुंवरजू लोधी आयु 50 वर्ष

4.वीरन पुत्र कुंवरजू लोधी आयु 48 वर्ष

5.मूलाबाई पुत्री कुंवरजू लोधी

6.रामकलीबाई पुत्री कुंवरजू लोधी

7.सखीबाई पुत्री कुंवरजू लोधी	
8.सियाबाई पुत्री कुंवरजू लोधी	
9.रामरतिबाई पुत्री कुंवरजू लोधी सभी का व्यवसाय खेती समस्त निवासीगण ग्राम मुरादपुर तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0)	प्रतिवादीगण
10.शासन द्वारा कलैक्टर जिला अशोकनगर (म0प्र0)	
	फोरमल प्रतिवादी
वादीगण द्वारा श्री सतीश श्रीवास्तव अधिवक्ता।	
प्रतिवादी गण द्वारा श्री तनवीर जाफरी अधिवक्ता।	

— / / निर्णय / / —

(आज दिनांक 14.12.2017 को घोषित)

01. वादीगण ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध ग्राम मुरादपुर तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्र. 37/1 रकवा 0.125 हेक्टेयर एवं सर्वे क्र. 37/2 रकवा 0.125 हेक्टेयर (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जाएगा) पर स्वत्व द गौषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया है।

02. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03. वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के अनुसार उक्त विवादित भूमि कुंवरजू के स्वामित्व की भूमि थी तथा विक्रेता कुंवरजू ने अपना हिस्सा सर्वे क्रमांक 37 में दिनांक 04.09.1999 को दो हजार रुपये में विक्रयपत्र के

माध्यम से वादीगण के हित में निष्पादित करा दिया था। वादीगण के अनुसार प्रतिवादीगण ने दिनांक 19.01.1993 को शेष बची भूमि वादीगण को दो हजार रुपये में विक्रय कर दी थी तथा वादीगण आज दिनांक तक उक्त विवादित भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। वादीगण के अनुसार उक्त विवादित भूमि पर वटा अंकित हो गया है तथा वादीगण उक्त विवादित भूमि पर खेती कराते हैं। वादीगण ने अपने वादपत्र में अभिवचित किया है कि वे उक्त विवादित भूमि पर वर्ष 1993 से काबिज चले आ रहे हैं तथा विरोधी आधिपत्य के आधार पर भूमि स्वामी रह चुके हैं। वादीगण के अनुसार उक्त विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में उनका नाम दर्ज नहीं हो पाया था जब उन्होंने प्रतिवादीगण को अनुबंधपत्र का पंजीयन कराने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया और वे उक्त विवादित भूमि पर कब्जा करने के प्रयास में हैं। अतः उपरोक्त आधारों पर वादीगण ने अपना वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है और साथ ही इस आशय की डिक्री चाही है कि उन्हें विवादित भूमि का स्वत्वाधिकारी घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध उक्त विवादित भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

04. उक्त वादपत्र के जवाब में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वादपत्र में किए गए अभिवचनों को पूर्णतः अस्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादीगण द्वारा गलत आधारों पर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादीगण ने जो विक्रयपत्र दिनांक 04.09.1992 को संपादित करना बताया है वह अवैध है। प्रतिवादीगण के अनुसार उक्त विवादित भूमि पर वादीगण का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है और न ही उनका कोई स्वत्व है। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वादपत्र को अस्वीकार कर निरस्त करने का अभिवचन किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में प्रतिदावा भी प्रस्तुत किया गया है। अपने प्रतिदावे में प्रतिवादीगण का अभिवचन है कि वादीगण ने जो विक्रयपत्र दिनांक 04.09.1992 एवं 19.01.1993 का उल्लेख किया है वह फर्जी है। प्रतिवादीगण के अनुसार उक्त विवादित भूमि उनके पिता की है जिस पर वे लोग

खेती करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण ने अपने प्रतिदावे में अभिवचित किया है कि कुंवरजू की मृत्यु के बाद उनके वारिसान का नाम उक्त विवादित भूमि पर दर्ज हुआ तथा कोई विक्रयपत्र वादीगण के पक्ष में निष्पादित नहीं हुआ था। अतः प्रतिवादीगण ने अपने प्रतिदावे के माध्यम से इस आशय की डिक्री चाही है कि उन्हें उक्त विवादित भूमि का स्वत्वाधिकारी घोषित किया जावे तथा विक्रयपत्र दिनांक 04.09.1992 को शून्य घोषित किया जावे।

05. उक्त प्रतिदावे के जबाब में वादीगण ने अभिवचित किया है कि प्रतिवादीगण ने गलत आधारों पर प्रतिदावा प्रस्तुत किया है। वादीगण के अनुसार कुंवरजू द्वारा विक्रयपत्र निष्पादित किया गया था तथा विक्रयपत्र निष्पादित होने के पश्चात उक्त विवादित भूमि उनके स्वत्व की भूमि हो गई। वादीगण के अनुसार कुंवरजू की मृत्यु के बाद वादीगण की जानकारी के वगैर प्रतिवादीगण ने उक्त विवादित भूमि पर नामांतरण करा लिया। अतः उपरोक्त आधारों पर वादीगण प्रतिवादीगण का प्रतिदावा निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

06. वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर इस न्यायालय द्वारा प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित वाद प्रश्न की विरचना की हैं, जिनके आगे इस न्यायालय के सकारण निष्कर्ष निम्नवत है :-

क्रं.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या वादीगण ग्राम मुरादपुर तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 37/1 रकबा 0.125 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 37/2 रका 0.125 हेक्टेयर के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी हैं ?	नहीं।
02.	क्या वादीगण वादप्रश्न क्रमांक 01 में वर्णित भूमि के संबंध में राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का नामांतरण	नहीं।

	कराने के अधिकारी हैं ?	
03.	क्या प्रतिवादी क्रमांक 03 लगायत 09 के संबंध में किया गया नामांतरण शून्य है ?	नहीं।
04.	क्या वादीगण वादप्रश्न क्रमांक 01 में वर्णित भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?	नहीं।
05.	क्या प्रतिवादीगण ग्राम मुरादपुर तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 37/1 रकबा 0.125 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 37/2 रकबा 0.125 हेक्टेयर के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी हैं ?	नहीं।
06.	क्या भूमि सर्वे क्रमांक 37 रकबा 0.125 हेक्टेयर स्थित ग्राम मुरादपुर से संबंधित विक्रयपत्र दिनांक 04.09.1992 शून्य है ?	नहीं।
07.	सहायता एवं व्यय ?	“निर्णयानुसार वादीगण का वाद एवं प्रतिवादीगण का प्रतिदावा अस्वीकार कर सव्यय निरस्त किया गया।”
08.	क्या वादीगण का वाद अवधि वाहय है ?	नहीं।

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

07. वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में वा.सा. 01 सुरेन्द्र, वा.सा.02 लाखनसिंह, वा.सा.03 रामसिंह की मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की है और साथ ही

प्र0पी01 लगायत प्र0पी005 के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं। प्रतिवादीगण की ओर से प्र.सा. 01 भुजबल, प्र.सा.02 हरिराम, की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

08. प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 06 एवं 08 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है एवं वाद प्रश्न क्रमांक 07 का निराकरण पृथक-पृथक से किया जा रहा है।

—:: वादप्रश्न क्रं. 01 लगायत 06 एवं 08 ::—

09. वा.सा. 01 सुरेन्द्र ने अपने कथन में बताया है कि वा.सा.1 सुरेन्द्रसिंह ने अपने कथन में बताया है कि उक्त विवादित भूमि कुंवरजू ने विक्रयपत्र के माध्यम से उन्हें विक्रय की थी तथा प्रतिवादीगण ने भी उक्त विवादित भूमि को विक्रय करने का अनुबंधपत्र संपादित करा दिया था तथा तभी से उनका उक्त विवादित भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त विवादित भूमि उनके स्वत्व की भूमि है तथा प्रतिवादीगण का उक्त विवादित भूमि में कोई हित नहीं है। अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी का कहना है कि कुंवरजू की मृत्यु कब हुई उसे जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी के अनुसार वे विवादित भूमि का नामांतरण नहीं करा पाये इसी कारण विवादित भूमि प्रतिवादीगण के नाम कागजों पर चलती रही।

10. वा.सा.2 लाखनसिंह एवं वा.सा.3 रामसिंह ने एक समान कथन करते हुए बताया है कि उक्त विवादित भूमि वादीगण के नाम से जानी जाती है। उक्त साक्षीगण के अनुसार उक्त विवादित भूमि को कुंवरजू, प्रताप एवं लखन ने लगभग

22-23 वर्ष पूर्व विक्रय कर दिया था तथा वे उक्त विवादित भूमि को देखते चले आ रहे हैं। वा.सा.2 के अनुसार उसने विवादित भूमि पर खेती करते हुए देखा है। वा.सा.2 के अनुसार उसे विक्रयपत्र की कोई जानकारी नहीं है।

11. प्र.सा.1 भुजबल ने अपने कथन में बताया है कि उक्त विवादित भूमि उनके स्वत्व की भूमि है। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त विवादित भूमि उनके द्वारा कभी विक्रय नहीं की गई। उक्त साक्षी के अनुसार वे भी उक्त विवादित भूमि पर खेती कर रहे हैं। उक्त साक्षी के अनुसार उसके पिता की मृत्यु के बाद उक्त विवादित भूमि उसके नाम चढ़ गई। उक्त साक्षी के अनुसार उसके पिता ने रजिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं बताया। प्र.सा.2 हरिराम ने अपने कथन में बताया है कि उसने उक्त विवादित भूमि पर कुसुमबाई को खेती करते देखा है। उक्त साक्षी के अनुसार कुसुमबाई भुजबल वगैरह से ठेके पर खेती लेकर करती रहती है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने उक्त विवादित भूमि पर वादीगण को खेती करते नहीं देखा है।

12. वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से जो मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि वादीगण ने जो स्वतंत्र साक्षीगण की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की है उन्होंने वादीगण के अनुसार कथन किया है। प्रतिवादीगण की ओर से जो स्वतंत्र साक्षीगण की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की है उन्होंने प्रतिवादीगण के अनुसार कथन किया है। वादीगण के स्वतंत्र साक्षीगण के अनुसार उक्त विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा है। वहीं प्रतिवादीगण के स्वतंत्र साक्षीगण के अनुसार प्रतिवादीगण का उक्त विवादित भूमि पर कब्जा है। इस प्रकार दोनों की ओर से साक्षीगण ने कब्जे के संबंध में, एक-दूसरे के विपरीत कथन किया है तथा उक्त साक्षीगण की साक्ष्य के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है। वा.सा.1 तथा प्र.सा.1 ने भी अपने-अपने अभिवचनों के आधार पर कथन किया है। वा.सा.1 एवं प्र.सा.1 के कथनों के आधार पर स्वत्व संबंधी कोई निष्कर्ष देना समीचीन प्रतीत नहीं होता है।

13. प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। वादीगण की ओर से जो खसरे अभिलेख पर प्रस्तुत किये गये हैं उनमें प्र0पी01 एवं प्र0पी02 पर कब्जेदार के रूप में उक्त विवादित भूमि पर कुंवरजू का नाम दर्ज होना दर्शित हो रहा है। प्र0पी04 एवं प्र0पी05 के खसरे के अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि उक्त विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का नाम कब्जेदार के रूप में दर्ज है। इस प्रकार प्र0पी01, प्र0पी02, प्र0पी04 एवं प्र0पी05 के दस्तावेजों के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता कि वादीगण उक्त विवादित भूमि के आधिपत्यधारी एवं स्वत्वाधिकारी हैं। वादीगण की ओर से प्र0पी03 के विक्रयपत्र की मूल प्रति अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है किंतु वादीगण ने उक्त विक्रयपत्र को प्रमाणित नहीं कराया है, मात्र विक्रयपत्र को अभिलेख पर प्रस्तुत कर देने के आधार पर विक्रयपत्र प्रमाणित नहीं माना जा सकता। वादीगण ने न तो विक्रयपत्र के साक्षीगण के माध्यम से विक्रयपत्र के निष्पादन को प्रमाणित कराया है और न ही उक्त दस्तावेज को उपपंजीयक की साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित कराया है।

14. उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि वादीगण उक्त विवादित भूमि पर अपना स्वत्व प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। अतः वादीगण उक्त विवादित भूमि पर अपने नाम का नामांतरण कराने के अधिकारी नहीं हैं और न ही उक्त विवादित भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं और न ही उक्त विवादित भूमि के संबंध में किये गये नामांतरण को शून्य घोषित कराने के अधिकारी हैं। वादीगण के प्रस्तुत वाद दिनांक 19.11.07 को प्रस्तुत किया है। वादीगण के अनुसार उन्हें दिनांक 09.10.07 को खसरे की नकल निकलवाने के पश्चात जानकारी हुई कि उनका उक्त विवादित भूमि पर नाम नहीं है। इस प्रकार वादीगण ने जो वादकारण दिनांक बताया है उसके आधार पर परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तुत वाद परिसीमा समय के भीतर प्रस्तुत किया है।

15. प्रतिवादीगण ने उक्त विवादित भूमि को उनके स्वत्व की भूमि होना बताया है किंतु मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर प्रतिवादीगण को उक्त विवादित भूमि का स्वत्वाधिकारी घोषित नहीं किया जा सकता। प्रतिवादीगण ने उक्त विवादित भूमि पर स्वत्व के संबंध में कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिवादीगण को अपना प्रतिदावा प्रमाणित करने का भार है तथा वह वादीगण की कमी का लाभ नहीं ले सकते। यद्यपि प्रकरण में विक्रयपत्र प्र0पी03 प्रमाणित नहीं हुआ है किंतु मात्र इस आधार पर उक्त विक्रयपत्र को प्रतिवादीगण के संबंध में शून्य घोषित नहीं किया जा सकता। प्रतिवादीगण को अपनी साक्ष्य के माध्यम से उक्त विक्रयपत्र को शून्य घोषित करने का भार था जो कि वे करने में असफल रहे हैं।

16. उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में वादप्रश्न क्रमांक 01 लगायत 06 नकारात्मक निर्णीत किये जाते हैं तथा वादप्रश्न क्रमांक 08 भी नकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

—:: वादप्रश्न क्रं.-08 ::—

17. साक्ष्य एवं विधि के उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादीगण अपना वाद एवं प्रतिवादीगण अपना प्रतिदावा प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। परिणामतः वादीगण का वाद एवं प्रतिवादीगण का प्रतिदावा अस्वीकार कर सव्यय निरस्त किया जाता है।

18. वाद का संपूर्ण व्यय वादी द्वारा वहन किया जाएगा एवं प्रतिदावा का संपूर्ण व्यय प्रतिवादी द्वारा वहन किया जाएगा। अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो देय होगी।

उपरोक्तानुसार जयपत्र की रचना की जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज़फ़र इकबाल)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
चंदेरी, जिला अशोकनगर

(ज़फ़र इकबाल)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
चंदेरी, जिला अशोकनगर